CONSULTATION PAPER ON "REVIEW OF REGULATORY FRAMEWORK FOR BROADCASTING AND CABLE SERVICES"

TRAI releases Consultation Paper on "Review of Regulatory Framework for Broadcasting and Cable services"

Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) today issued Consultation Paper on "Review of Regulatory Framework for Broadcasting and Cable services".

In consonance with the complete digitization of the cable TV sector, TRAI on 3rd March 2017 notified the Regulatory Framework for Broadcasting and Cable services. After passing legal scrutiny in Hon'ble Madras High Court and Hon'ble Supreme Court, the framework came into effect from 29th December 2018.

To address certain issues that arose after implementation of regulatory framework 2017, after a due consultation process with stakeholders, TRAI on 1st January 2020 notified the amended Framework 2020 consisting of Tariff Amendment Order 2020, Interconnection Amendment Regulations 2020 and QoS Amendment Regulations 2020.

Some stakeholders challenged provisions of Tariff Amendment Order 2020, Interconnection Amendment Regulations 2020 and QoS Amendment Regulations 2020 in various High Courts including in the Hon'ble High

'प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नियामक ढ़ांचे की समीक्षा' पर परामर्श पत्र

ट्राई ने 'प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नियामक ढ़ांचे की समीक्षा' पर परामर्श पत्र जारी किया

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 'प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नियामक ढ़ांचे की समीक्षा' पर परामर्श पत्र जारी किया है।

केबल टीवी क्षेत्र के पूर्ण डिजिटलीकरण के अनुरूप, ट्राई ने 3 मार्च 2017 को प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नियामक ढ़ांचे को अधिसूचित किया। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी जांच से गुजरने के बाद, रूपरेखा को 29 दिसंबर 2018 से लागू किया गया।

नियामक ढ़ांचे 2017 के कार्यान्वयन के बाद उत्पन्न हुए कुछ मुद्दों को संबोधित करने के लिए हितधारकों के साथ उचित परामर्श प्रक्रिया के बाद ट्राई ने 1 जनवरी 2020 को संशोधित फ्रेमवर्क 2020 को अधिसूचित किया जिसमें टैरिफ संशोधन आदेश 2020, इंटरकनेक्शन संशोधन विनियम 2020 और क्यूओएस संशाधन विनियम 2020 शामिल है।

कुछ हितधारकों ने माननीय बॉम्बे और केरल उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों टैरिफ संशोधन आदेश 2020, इंटरकनेक्शन संशोधन विनियम 2020 और क्यूओएस संशाधन विनियम 2020 के प्रवधानों को चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालयों ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर संशोधित फ्रेमवर्क 2020 की वैधता को बरकरार रखा।

Court of Bombay and Kerala. Hon'ble High Courts upheld the validity of the amended Framework 2020 except for a couple of provisions.

The provisions related to Network Capacity Fee (NCF), multi-TV homes and long-term subscriptions of the amended framework 2020, were implemented.

However, after new tariffs were announced by the broadcasters, TRAI received representations from Distribution Platform Operators (DPOs), Associations of Local Cable Operators (LCOs) and Consumer Organizations. Stakeholders highlighted difficulties likely to be faced by them in implementing new rates in their IT systems and migrating the consumers in bulk to the new tariff regime through the informed exercise of options, impacting almost all bouquets, due to upward revision in the rates of pay channels and bouquets declared by broadcasters.

To deliberate on the various issues related to implementation of the amended framework 2020 and suggest a way forward, a committee consisting of members from Indian Broadcasting & Digital Foundation (IBDF), All India Digital Cable Federation (AIDCF) & DTH Association was constituted under the aegis of TRAI.

The Committee listed several issues related to the amended framework 2020 for consideration. The stakeholders, however, requested TRAI to immediately address critical issues which could create impediments for smooth implementation of the amended framework 2020.

In order to address the issues as identified by the stakeholders' committee; TRAI issued the consultation paper on "Issues related to New Regulatory Framework for Broadcasting and Cable services" on 7th May 2022 for seeking stakeholders' comments on issues which were pending for full implementation of the amended framework 2020.

After due consultation process, TRAI, on 22nd November 2022, notified the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff (Third Amendment) Order, 2022 and the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Fourth

संशोधित ढ़ांचे **2020** के नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ), मल्टी टीवी घरों और दीर्घकालिक सदस्यता से संबंधित प्रावधानों को लागू किया गया।

हालांकि, प्रसारकों द्वारा नये टैरिफ की घोषणा के बाद, ट्राई को डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ), एसोसिएशन ऑफ लोकल केबल ऑपरेटर्स (एलसीओ) और उपभोक्ता संगठनों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। हितधारकों ने अपने आईटी सिस्टम में नयी दरों को लागू करने और विकल्पों को सूचित अभ्यास के माध्यम से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को नयी टैरिफ व्यवस्थाओं में स्थानांतरित करने में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला, जिससे पे चैनलों की दरों में बढ़ोतरी के कारण लगभग सभी बुके और प्रसारकों द्वारा घोषित बुके प्रभावित होंगे।

संशोधित रूपरेखा **2020** के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न उत्पन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और आगे का रास्ता सुझाने के लिए इंडियन बॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ), ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) और डीटीएच एसोसिएशन के सदस्यों की एक समिति का गठन ट्राई के तत्वावधान में किया गया था।

समिति ने संशोधित रूपरेखा **2020** से संबंधित कई मुद्दों को विचार के लिए सूचीबद्ध किया है। हालांकि, हितधारकों ने ट्राई से उन महत्वपूर्ण मुद्दों को तुरंत संशोधित करने का अनुरोध किया जो संशोधित ढ़ांचे **2020** के सुचारू कार्यान्वयन में बाधायें पैदा कर सकते हैं।

हितधारकों की समिति द्वारा पहचाने गये मुद्दों का समाधान करने के लिए ट्राई ने संशोधित ढ़ांचे **2020** के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए लंबित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगने **7** मई **2022** को 'प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नये नियामक ढ़ांचे से संबंधित मुद्दे' पर परामर्श पत्र जारी किया।

उचित परामर्श प्रक्रिया के बाद, ट्राई ने **22** नवंबर **2022** को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवायें (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, **2022** और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम **2022** को अधिसूचित किया, जिसमें निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैंः

Amendment) Regulations, 2022 which covered the following issues:

a) Continuance of forbearance on MRP of TV channels

b) ceiling of Rs. 19/- on MRP of a TV Channel price for inclusion in bouquet

c) Discount of 45% on sum of the price of individual channels while forming Bouquet

d) Additional Incentives of 15% by broadcaster to be permitted on Bouquets also.

The Stakeholders' Committee also listed several other issues for subsequent consideration by TRAI. In addition, the Authority held multiple meetings with representatives of broadcasters, MSOs, DTH operators and LCOs. Several issues were put forward during these meetings. TRAI has considered some relevant suggestions given by various stakeholders.

In order to address the remaining issues pertaining to Tariff, Interconnection and Quality of Service of Broadcasting and Cable services, as identified by the stakeholders' committee and suggested by other stakeholders, the Authority is issuing this consultation paper for seeking stakeholders' comments. Written comments on the consultation paper are invited from the stakeholders by 5th September 2023. Counter comments, if any, may be submitted by 19th September 2023. The comments and counter-comments may be sent, preferably in electronic form on the email ID advbcs-2@trai.gov.in and jtadvbcs-1@trai.gov.in.

For any clarification! information, Shri Anil Kumar Bhardwaj, Advisor (B&CS) may be contacted at Tel. No. +91-11-23237922. ■

ए) टीवी चैनलों की एमआरपी पर रोक जारी रहेगी

बी) बुके में शामिल करने के लिए टीवी चैनल की कीमत की एमआरपी पर 19रुपये की सीमा।

सी) बुके बनाते समय व्यक्तिगत चैनलों के कीमत के योग पर 45% की छूट।

डी) प्रसारकों द्वारा 15% की अतिरिक्त प्रोत्साहन को बुके पर भी अनुमति दी जायेगी।

हितधारकों की समिति ने ट्राई द्वारा बाद में विचार के लिए कई अन्य मुद्दों को भी अधिसूचित किया।इसके अलावा, प्राधिकरण ने प्रसारकों, एमएसओ, डीटीएच ऑपरेटरों और एलसीओ के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें की।इन बैठकों के दौरान कई मुद्दे सामने रखे गये, ट्राई ने विभिन्न हितधारकों द्वारा दिये गये कुछ प्रासंगिक सुझावों पर विचार किया है।

हितधारकों की समिति द्वारा पहचाने गये और अन्य हितधारकों द्वारा सुझाये गये प्रसारण और केबल सेवाओं के टैरिफ, इंटरकनेक्शन और सेवा की गुणवत्ता से संबंधित शेष मुद्दों को संबोधित करने के लिए, प्राधिकरण हितधारकों की टिप्पणियां मांगने के लिए परामर्श पत्र जारी कर रहा है।परामर्श पत्र पर हितधारकों से 5 सितंबर 2023 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जाती है।जवाबी टिप्पणियां, यदि कोई हो तो, 19 सितंबर 2023 तक प्रस्तुत की जा सकती है।टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल आईडी advbcs-2@trai.gov.in और jtadvbcs-1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती है।

किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बीएंडसीएस) से दूरभाष +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है। ■

INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR
THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY

SATELLITE & Cable TV

MAGAZINE

... You Know What You are doing
But Nobody Else Does

ADVERTISE NOW !

Contact: Mob.: +91-9108208956 Tel.: +91-22-6216 5313 Email: geeta.lalwani@nm-india.com